सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०	"बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी०सी०आई०) के द्वारा बिहार में कुल 11 विधि महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त कर दी गयी है जिसमें दो अंगीभूत महाविद्यालय-सी०एम० विधि महाविद्यालय जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के अधीन है एवं रविनंदन मिश्र मेमोरियल विधि महाविद्यालय, सहरसा जो बी० एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के अधीन है, जिन्हें समयानुसार निरीक्षण शुल्क जमा नहीं करने, कॉलेज में बी०सी०आई० के मानक के अनुरूप विधि शिक्षक की कमी, पूर्णकालीन प्रधानाचार्य नहीं रहने एवं भौतिक संरचना का अभाव इसके कारण बताये गये हैं । माननीय पटना उच्च न्यायालय ने भी इनमें नामांकन पर रोक लगा दिया है । अंगीभूत इकाई होने के बावजूद ऐसी हालत में लाने के लिए विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार की उदासीनता उजागर होती है । अत: इन अंगीभूत विधि महाविद्यालयों की पुन: संबद्धता दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

2. श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स० श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स० डॉ० सी० एन० गुप्ता, स०वि०स० श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स० श्रीमती वीणा भारती, स०वि०स०	"प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है । इस विज्ञप्ति में पहली अप्रील, 2010 के पश्चात् शिक्षक बनने हेतु शिक्षक प्रात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता निर्धारित की गयी है जबकि बिहार में वर्ष 2013 से टी०ई०टी० शिक्षकों की नियुक्ति प्रारंभ हुई है । विभागीय शिथिलता के कारण वर्ष 2019 में सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का एकमुश्त प्रशिक्षण कार्य पूरा हुआ है । बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति की शर्तों के कारण एस०टी०ई०टी० उत्तीर्ण शिक्षक अनुभव की पात्रता से वंचित हो जायेंगे । अत: प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 2010 के पश्चात् शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता की दी गयी शर्त को समाप्त किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

शैलेन्द्र सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2022- 1691 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29-3-2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2022- 1691 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29-3-2022
(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2022- 1691 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 मार्च, 2022 ई० ।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/2022- 1691 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 मार्च, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

29.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।